

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला-केकड़ी

प्रकरण संख्या- 39/2024

हरजू पत्नी रतन जाति बोरवा बनाम इन्स्टा पुत्री चांमल जाति

अन्तर्गत धारा:-

next Dated
By Adv.
RISHUL
Acharya
वादांतर पर आगे
कार्यवाही नहीं
चाहता हूँ

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज
19/6/2024
पत्रावली फाइल वकील वादी उपस्थित है। वकील वादी पत्रावली में अभी कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वकील वादी द्वारा पत्रावली भादो 1 पर एस प्रशम की रिपण्टी अंकित की गई। वकील वादी को बुला गया, वकील वादी फावली में अग्रिम कोई भी कार्यवाही नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर कोई कार्यवाही दर्ज नहीं रह जाती है। पत्रावली में वकील वादी के मौखिक कथन तथा पत्रावली पर अंकित रिपण्टी की खींकार दिया जाकर पत्रावली पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फाइल शुमार दो नम्बर से एक छोड़ कायिल हफ्तर दो।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)